राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1188/2020

सुचिता आचार्य —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा शासन सचिवलाय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यम प्रथम, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भीलवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.10.2020
आदेश की दिनांक : 12.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार विधवा कोटे से अध्यापिका के पद पर हुई थी। अपीलार्थी के कार्य के बारे मे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 6 डी में चयन करते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय जवाहरनगर शहरी जिला भीलवाडा में कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी का स्थानान्तरण पुनः 6 डी में शामिल करते हुए वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उल्लाई पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा में आदेश क्रमांक 642 दिनांक 23/24–7–2019 के द्वारा कर दिया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी का वर्ष 2018 में 6 डी में चयन हो जाने के पश्चात ही उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय जवाहरनगर ब्लाक सुवाणा जिला भीलवाडा में पदस्थापन आदेश जारी किए गये। उक्त आदेशों में स्पष्ट अंकित किया गया कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत चयन नहीं किया गया उनको शहरी क्षेत्र के लिए कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाए। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का पूर्व में 6 डी में चयन हो जाने पर ही शहरी क्षेत्र में पदस्थापन किया गया। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा नियम 1971 के

प्रावधान पंचायती राज विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सेट अप परिवर्तन उक्त नियमों के नियम 6 डी के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 महत्वपूर्ण है, जिसमें पंचायती राज विभाग के अधीन नियुक्त कार्यरत कार्मिकों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों पर अंतरित कर पदस्थापन व पदावन्त किए जाने का प्रावधान किया हुआ है। स्पष्ट है कि पंचायत राज विभाग में नियुक्ति किसी भी शिक्षक का नियम 6 डी के अन्तर्गत सेट अप परिवर्तन एक बार ही किया जाना अपेक्षित है शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित व प्रचलित प्रक्रिया अनुसार सेट अप परिवर्तन के पश्चात तृतीय श्रेणी शिक्षकों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावे । इस प्रकार अपीलार्थी को 6 डी की प्रक्रिया पहले से ही पूर्ण की जा चुकी है तो सेट अप परिवर्तन के जरिये समायोजन/पदस्थापन किया जाता है तो उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस बी सिविल रिट याचिका नं. 8085/2019 गेनाराम चौधरी बनाम स्टेट आफ राजस्थान राज्य के निर्णय में दिया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी इसी से सम्बन्धित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित सेट अप परिवर्तन के आदेश क्रमांक 642 दिनांक 23/24.7.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को पुनः प्रारम्भिक शिक्षा में भेजे जाने के आदेश प्रदान करवाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों को नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थी उक्त तथ्यों को वर्तमान अपील में स्थापित करने में असमर्थ रहा है, अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की 6–डी दुबारा कर दी गई है जो कि माननीय अधिकरण को गुमराह करने हेतु उल्लेखित किया गया है। वस्तुतः अपीलार्थी का 6–डी में चयन दुबारा नहीं किया गया। उल्लेखित आदेश क्रमांकः–642 दिनांक 23/24.07.2019 के द्वारा कार्मिक का वरिष्ठता के आधार पर समायोजन स्थानान्तरण द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में किया गया है। इस आदेश में कही पर भी 6–डी में दुबारा चयन किया गया हो, उल्लेखित नही है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 23.09.2019 को राउमावि उलई में कार्यग्रहण भी किया जा चुका है। आदेश की पालना करने के पश्चात उसमें विवाद उत्पन्न करना न्यायहित में नहीं है। अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग समक्ष सक्षम अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा 4 (अ) के अन्तर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था एंव उक्त अभ्यावेदन के

निस्तारण के उपरांत ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधान की पालना किये बिना ही सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है जो खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर ने समान प्रकृति के प्रकरण याचिका संख्याः 10327/2019 श्री सांवरलाल जाट बनाम राज्य सरकार प्रकरण को एकल पीठ द्वारा दिनांकरू 25–07–2019 तथा डीबी सिविल याचिका संख्याः 893/2019 श्री सांवरलाल जाट बनाम राज्य सरकार को दिनांकः 01–08–2019 को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण भी जिला भीलवाडा से संबंधित है जिससे अपीलार्थिया है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ जोधपुर द्वारा समान प्रकरणों में अपील संख्याः 218/2019 श्रीमती बसंती शर्मा बनाम माध्यमिक शिक्षा व अन्य 97 अपीलों का निर्णय दिनांकः 23–7–19 को करते हुए सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। उक्त निर्णयों के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने आदेश क्रमांक–642, दिनांक 24.07.2019 द्वारा माननीय अधिकरण को दुबारा 6–डी में शामिल करते हुये स्थानान्तरण करने का उल्लेख किया है जबकि उक्त आदेश में कही पर भी दुबारा 6–डी किये जाने का उलेख नहीं है। वस्तुतः अपीलार्थी का 6–डी में चयन दुबारा नहीं किया गया। उल्लेखित आदेश कमांक 642 दिनांक 24.07.2019 द्वारा अपीलार्थी विभाग में वरिष्ठतम होने से समायोजन स्थानान्तरण द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में रा०उ०मा०वि०–उलाई में पदस्थापित किया गया है। विभाग के वरिष्ठ तृतीय श्रेणी अध्यापक होने के नाते नियमानुसार इनका प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण किया गया है। जिसे जानबूझकर अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के सम्मूख दूसरी बार 6–डी किये जाने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि गलत है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उक्त आदेशों में कही पर भी दुबारा 6–डी किये जाने का उल्लेख नहीं है। उक्त अपीलार्थी के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबीसी याचिका 8085/2019 गैनाराम चौधरी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय के सम्बन्ध में प्रकरण का निस्तारण करते हुये पूर्व में ही आख्यात्मक आदेश के माध्यम से परिवेदना का निस्तारण किया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है ।

हमने प्रत्यर्थी विभाग को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर सामग्री से स्पष्ट है कि अपील में अलौच्य आदेश दिनांक 23/240.07.2019 के चुनौती दी है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उल्लाई पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण कर लिया है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आदेश माध्यमिक उच्च न्यायालय में दायर

याचिकाओं के निर्णय की अनुपालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए काउनसिल के द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। दोनों ही पक्षों ने अपील एवं जवाब में अंकित न्याय निर्णयों की प्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। आलौच्य आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ही अनुपालना में जारी होने स्पष्ट है एवं उसकी पालना अपीलार्थी द्वारा की जा चुकी है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य